

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No.2018/E(O)II/1/3

New Delhi, dt. 12.04.2018

To,

The Registrar General,
Supreme Court of India, Delhi.
High Court of Allahabad, Allahabad-211001
High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad-500266
High Court of Chhattisgarh, Raipur
High Court of Delhi, New Delhi-110001
High Court of Calcutta, Kolkata-700001
High Court of Bombay, Mumbai
High Court of Gauhati, Guwahati-781001
High Court of Gujrat, Gujrat-380060
High Court of Jammu & Kashmir, Jammu-180001
High Court of Himachal Pradesh, Shimla-171001
High Court of Jharkhand, Ranchi
High Court of Karnataka, Bangalore-560001
High Court of Kerala, Cochin-682031
High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur-482002
High Court of Madras, Chennai-600104
High Court of Orissa, Cuttack-753002
High Court of Patna, Patna-800001
High Court of Panjab & Haryana, Chandigarh-160001
High Court of Rajasthan, Jodhpur-342001
High Court of Sikkim, Gangtok-737101
High Court of Uttaranchal, Nainital.
High Court of Tripura, Agartala-799006
High Court of Manipur, Imphal-795002
High Court of Meghalaya, Shillong-793001

Sub: Railway Claims Tribunal (RCT) - Appointment of Judicial Member.

Sir,

Ministry of Railways have decided to invite applications for appointment to eleven posts of Judicial Member in Railway Claims Tribunal. The existing and anticipated vacancies till 31.12.2018 of Judicial Member are one each at Chandigarh, Bhubaneswar, Nagpur, Mumbai, Amaravati, Ranchi, Bhopal, Secunderabad, Jaipur and two posts at Guwahati Bench. However, the vacancies and places of posting are tentative and likely to change depending upon administrative requirements. The Selected candidates are liable to be posted anywhere in India.

2. The Judicial Member in the Tribunal carries the pay scale of Rs. 2,05,400-2,24,400/- plus allowances, as admissible under the rules.

2.1 Other terms: As contained in the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 as amended from time to time.

3. A person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he -

- (a) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or
- (b) has been a Member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that service for atleast three years; or
- (c) has, for atleast three years, held a civil judicial post carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India.

as on closing date of vacancy notice.

3.1 They shall be appointed for a period of 5 years or till the attainment of 62 years of age whichever is earlier.

4. On ceasing to hold office, a Member of the Tribunal shall be eligible for further employment only as provided under Section 10 (c) of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.


5. It is requested that names of willing judicial officers with requisite qualifications who would be suitable for being considered for appointment to the post of Judicial Member may please be sent. Serving officers except High Court Judges will have to take voluntary retirement from service to take up the assignment in the Tribunal.

6. Service particulars (as in the attached form) of the candidates may kindly be sent indicating, *inter alia*, date of birth, length of service, present assignment, relevant experience etc. Nominations should reach to Shri S.N.Jha, Under Secretary-II/E(O)II/Railway Board, Room No. 211 A, Rail Bhawan, New Delhi -110001 within 60 days from the date of issue of this letter.

7. While forwarding the application, the ACR dossier of the candidate may also be sent duly indicating the vigilance clearance/disciplinary cases etc., if any.

8. **The vacancy notice issued vide this office letter No.2015/E(O)II/1/13 dt. 13.07.2015 is withdrawn. Those, who have applied against notice dt. 13.07.2015, will have to apply afresh against this notice.**


Encl: As above


(S.N.Jha)
Under Secretary-II/E(O)II
Room No. 211-A,
Railway Board, New Delhi.
Tele -011-23303259

No.2017/E(O)II/1/1

New Delhi, dt. 12-04-2018

Copy forwarded to the Ministry of Law & Justice for recommending name of eligible candidates.


(S.N.Jha)
Under Secretary-II/E(O)II
Room No. 211-A,
Railway Board, New Delhi.
Tele -011-23303259

FORM
(For serving persons)

(To be
attested by
Gazetted
Officer)

1. Name in full _____
2. Father's Name _____
3. (a) Date of Birth DD _____ MM _____ YYYY _____
(b) Age as on date of vacancy notice YY _____ MM _____ DD _____
4. Please tick ✓ the service : Higher Judicial Service _____ Indian Legal Service
Others _____
- (a) Post held on regular basis _____
Date from which holding the post DD _____ MM _____ YYYY _____
- (I) Scale of post Rs. _____
- (II) Present basic pay Rs. _____
- (III) Date of appointment to the post of Addl Dist Judge/Joint Secretary DD _____ MM _____ YYYY _____
- (IV) Place of Current posting _____
- (V) Educational Qualifications _____
- (VI) Professional/Special Qualifications _____
5. Mailing address: _____

6. Permanent Address: _____

7. Tele. No. (O) _____ (Res.) _____ (Mobile) _____
8. Choice of posting for M(J)/RCT in order of preference
1. _____ 2. _____
3. _____ 4. _____
5. _____ 6. _____
7. _____ 8. _____
9. _____ 10. _____

9. Any other information the candidate may like to provide:- _____

Signature of the Candidate

Date:
Place:

Note: Candidates are required to send their applications through proper channel.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पत्रांक:2018/ई (ओ)-II/1/3

नई दिल्ली, दिनांक: 04.12.2018

रजिस्ट्रार,

भारत का उच्चतम न्यायालय, दिल्ली,
इलाहबाद उच्च न्यायालय, इलाहबाद-211001
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदाराबाद-500266
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर-495001
दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली-110003
कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता-700001
मुम्बई उच्च न्यायालय, मुम्बई-400032
गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी-78101
गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद-380069
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू-181001
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला-171001
झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची-834033
कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलूरु-560001
केरल उच्च न्यायालय, कोचीन-682031
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर-482002
मद्रास उच्च न्यायालय, चेन्नई-600104
उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक-753002
पटना उच्च न्यायालय, पटना-800001
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़-161001
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर-342001
सिक्किम उच्च न्यायालय, गंगटोक-737101
उतरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल-263002
त्रिपुरा उच्च न्यायालय, अगरतला-799006
मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल-795002,
मेघालय उच्च न्यायालय, शिलांग-793001

विषय: सदस्य (न्यायिक) की नियुक्ति।

महोदय,

रेल मंत्रालय ने रेल दावा अधिकरण के सदस्य (न्यायिक) के ग्यारह पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने का विनिश्चय किया है। सदस्य (न्यायिक) के पद की मौजूदा और 31.12.2018 तक की

संभावित रिक्तियां चण्डीगढ़, भुवनेश्वर, रांची, मुम्बई, भोपाल, नागपुर, अमरावती, सिकन्दराबाद, जयपुर (प्रत्येक में एक-एक) तथा गुवाहाटी (दो पद) में हैं। उपर्युक्त रिक्तियां तथा स्थान अनंतिम हैं और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। चयनित व्यक्ति को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

2. रेल दावा अधिकरण में सदस्य (न्यायिक) के पद का वेतनमान 2,05,400-2,24,400/- रुपये नियमों के अन्तर्गत यथा ग्राह्य भत्ते हैं।

2.1 अन्य शर्तें: समय-समय पर यथा संशोधित रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1989 में यथा अंतर्विष्ट।

3. कोई व्यक्ति सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हक होगा जबकि, आवेदन पाने की अन्तिम तिथि तक, वह:-

- (क) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रहा हो, या न्यायाधीश बनने के लिए अर्हक हो;
- (ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो और उस सेवा के ग्रेड-1 में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य किया हो; अथवा
- (ग) कम से कम तीन वर्ष तक किसी ऐसे सिविल न्यायिक पद पर रहा हो, जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो।

3.1 पद की अवधि: सदस्य (न्यायिक) के पद का कार्यभार ग्रहण करने से पांच वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो।


4. पद का कार्यकाल पूरा होने पर, अधिकरण का सदस्य, रेल दावा अधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 10 (ग) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार ही और किसी नियुक्ति का पात्र होगा।

5. अनुरोध है कि अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले ऐसे इच्छुक न्यायिक अधिकारियों जो सदस्य (न्यायिक) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए उपयुक्त हों, के नाम भेजे जाएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर सेवारत अधिकारियों को अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

6. कृपया उम्मीदवारों के सेवा विवरण (संलग्न फार्म के अनुसार) भिजवाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जन्म तिथि, सेवा की अवधि, मौजूदा नियुक्ति, संगत अनुभव, पात्रता की शर्तें एवं तैनाती के स्थान के लिए प्राथमिकता आदि का उल्लेख किया जाए। नामांकन इस पत्र के निर्गत होने से 60 दिन के भीतर श्री शिव नाथ झा, अवर सचिव-11/ई(ओ)-11, कमरा सं. 211-ए, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 तक पहुंच जाने चाहिए।

7. आवेदन भेजते समय उम्मीदवारों के एसीआर/एपीएआर डोजियर भी भेजे जाएं और साथ ही विधिवत् रूप से सतर्कता क्लीयर्स/अनुशासनिक मामले, आदि यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

8. इस कार्यालय के पत्रांक 2015/ई(ओ)-II/1/13, दिनांक 13/07/2015 द्वारा निर्गत रिक्ति परिपत्र वापस लिया जाता है। जिन व्यक्तियों ने इस मंत्रालय के उल्लिखित रिक्ति नोटिस के संदर्भ में आवेदन किया है, उन्हें इस नोटिस के संदर्भ में पुनः आवेदन करना होगा।



(शिवनाथ झा)

अवर सचिव-II/ई(ओ)-II, रेलवे बोर्ड


संलग्नक: यथोक्त

सं. 2018/ई (ओ)-II/1/3

नई दिल्ली, दिनांक 12.04.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली को पात्र उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करने के लिए प्रेषित।



(शिवनाथ झा)

अवर सचिव-II/ई(ओ)-II, रेलवे बोर्ड

प्रोफॉर्मा
(सेवारत के लिए)

फोटो चिपकाएं
(जिसे राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया
गया हो)

1. पूरा नाम
पिता का नाम
3. (क) जन्म तिथि दिन.....माह.....वर्ष.....
(ख) रिक्ति पत्र जारी होने की तिथि को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....

- 4 सेवा में कृपया () का चिन्ह लगाएं:
उच्चतर न्यायिक सेवा..... भारतीय विधि सेवा..... अन्य.....

- (क) नियतिम आधार पर धारित पद:
जिस तारीख से इस पद पर हैं दिन.....माह.....वर्ष.....

- I. पद का वेतनमान रू.....
II. वर्तमान मूल वेतन रू.....
III. अपर जिला न्यायाधीश/जिला न्यायाधीश/संयुक्त सचिव के पद पर
नियुक्ति की तारीख दिन.....माह.....वर्ष.....
IV. मौजूदा तैनाती का स्थान
V. शैक्षिक अर्हताएं
VI. प्रोफेशनल/विशेष अर्हताएं

5. पत्राचार का पता:
.....
.....

6. स्थाई पता:-
.....
.....

7. टेलीफोन नं.
(का.).....(निवास).....(मोबाइल).....

8. रेल दावा अधिकरण में सदस्य (न्यायिक) के रूप में तैनाती के लिए तैनाती में स्थान के संबंध में प्राथमिकता दें
(1).....(2).....(3)..... (4)..... (5)..... (6)..... (7).....(8)..... (9)..... (10).....

9. कोई अन्य सूचना जिसे उम्मीदवार देना चाहता हो.....
.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....

स्थान.....

टिप्पणी:-

कृपया अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजें।

